*चौराहे पर भारतीय बैंकिंग: कुछ विचार**

- शक्तिकांत दास

अमृत मोदीस्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में संबोधन के लिए आज आप लोगों के बीच आकर खुश हूँ । सम्मेलन का विषय – 'बैंक राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष : भारतीय बैंकिंग चौराहे पर' - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विकास, विगत 50 वर्षों में उनकी यात्रा और उनके भविष्य के विज़न पर चर्चा के लिए बिल्कुल सही पृष्ठभूमि है। हमारे देश के उत्थान में बैंकिंग प्रणाली ने एक अहम भूमिका निभाई है, विशेषत: हाल के दशकों में जिसमें अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हुई है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली, विशेषत: सरकारी (पब्लिक सेक्टर) बैंक, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद, भारी अनर्जक ऋणों (एनपीएल), वैश्विक व घरेलू आर्थिक गिरावट, तकनीक को अपनाने व नए युग की फिनटेक कंपनियों के साथ स्पर्धा से जूझने में भारी मंथन का अनुभव किया है। मैं अपने संबोधन में आज उन चुनौतियों पर चर्चा करूँगा जो वृहत्तर बैंकिंग क्षेत्र के सामने है, और आगे चलकर हमें उनसे क्या प्रत्याशा है। मैं, गैर-वित्तीय कंपनियों व शहरी सहकारी बैंकों, जो कि वित्तीय क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं, के मुद्दों से निपटने में अपने अप्रोच के बारे में भी संक्षेप में बताऊँगा।

कई बार, इतिहास को पलटकर देखने से ऐसी दृष्टियां मिलती हैं, जो भविष्य को देखने में काफ़ी सहायक होती हैं। उस सीमित उद्देश्य के साथ, अपनी चर्चा को संदर्भ से जोड़ने के लिए थोड़ा सा मैं भूत की ओर जाऊँगा। 1967 में, उद्योग के 64.3 के जबर्दस्त विपरीत कृषि को मिलने वाला ऋण वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम का केवल 2.2 प्रतिशत था। 1969 में देश के पाँच शहरों, यथा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से बैंक जमाराशियों का 44 प्रतिशत और बकाया बैंक ऋण का 60 प्रतिशत आता था। इससे यह व्यापक राजनैतिक अवधारणा बनी कि निजी बैंकों पर छोड़ दिया जाए तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में उनमें पर्याप्त जागरुकता नहीं होती। उस समय नीति निर्माताओं ने जो हल सोचे, उनमें बैंकिंग प्रणाली पर विभिन्न स्तर के नियंत्रण शामिल थे, जिसकी परिणति अंतत: 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उसके बाद 1980 में छह और निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में हुई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय के प्रभाव को रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड III में बड़े सटीक ढंग से बताया गया है: *राष्ट्रीयकरण के समय देश के 2700 में से 617 शहर वाणिज्यिक बैंकों से बाहर थे। और, इससे भी बदतर गाँवों की हालत थी जहाँ 600,000 गाँवों में बमुश्किल 5,000 में बैंक थे। इनका विस्तार भी असमान था....'*

वर्तमान चुनौतियां और बाह्य कारकों की भूमिका

इतिहास में थोड़े से इस भ्रमण के बाद, अब मैं बैंकों के सामने पेश आ रही आज की चुनौतियों पर आता हूँ जिनमें से कई विगत वर्षों में बाह्य कारकों के परिणाम थे। सर्व-संबंधितों को समझना चाहिए कि बैंकों का कारोबार ही वास्तविक जोखिमों का है। इसका अर्थ हुआ कि बैंक जो एक्सपोज़र लेना चाहता है, उनमें कुछ के परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। सरकार के विकास एजेंडा को लागू करने का माध्यम रहे पीएसबी को कई उद्देश्य प्राप्त करने और बढ़ाने होते थे। जीएफसी (2008) के पहले, उच्च वृद्धि का चरण काफी हद तक अधिकांशत: पीएसबी द्वारा बैंक ऋण (क्रेडिट) के कारण आया जिससे उधारदाताओं के बैलेंस शीट में जोखिम बढ़े। विशेषत: बुनियादी क्षेत्र को जाने वाला बैंक ऋण अभूतपूर्व दर से बढ़ा। इससे पीएसबी का एकस्पोज़र आधारभूत क्षेत्र की मुश्किलों में हुआ और इनमें कई जोख़िम संकट के बाद उल्लेखनीय रूप से घटित हो गए।

आगे, आधारभूत क्षेत्र को अग्रिम में इस उच्च वृद्धि अवधि का पुछल्ला सिरा, आर्थिक वृद्धि में सुस्ती और पर्यावरणीय अनुमतियों (क्लीयरेंस) के सख्त होने की अवधि के साथ आया।

* 16 नवंबर 2019 को अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रथम वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्घाटन संबोधन।

साथ ही, उधार देने वाली प्रमुख संस्थाओं के वैश्विक बैंकों/एनबीएफसी में बदल जाने से वाणिज्यिक बैंक आधारभूत व मूल उद्योंगों (कोर इंडस्ट्रीज़) के लिए दीर्घावधि ऋण के प्राथमिक स्रोत हो गए। इन परिस्थितियों का एक तत्काल परिणाम यह था कि इनसे 'पुनर्रचित मानक आस्तियों' अर्थात् अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में ड्राउनग्रेड किए बिना पुनर्रचित की गई आस्तियों की मात्रा में उछाल आया। बाद में, अधिकांश पुनर्रचित आस्तियां, जिनको 'मानक' के रूप में वर्गीकरण की अनुमति मिली थी, वे एनपीए हो गईं क्योंकि पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) पैकेज व्यवहार्य सिद्ध नहीं हुआ। बैंकों द्वारा अपर्याप्त ऋण आकलन और अभिशासन मुद्दों ने भी जोखिम के बढ़ने में अपना-अपना योगदान दिया।

जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, एनपीए में वृद्धि निजी व विदेशी बैंकों की तुलना में विशेषत: पीएसबी में अपेक्षतया अधिक थी। संभवत: अपने अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में पीएसबी अर्थव्यवस्था के कुछ अहम क्षेत्रों में उच्चतर एक्सपोज़र ले बैठे, जैसे खनन, लोहा व स्टील और बुनियादी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बाहरी आघातों के कारण एनपीए के स्तर बढ़े जिससे तत्संबंधी दबाव बढ़ा – खनन व ऊर्जा को कोयला ब्लॉकों के आबंटन रद्द होने का आघात; लोहा और स्टील पर चीन से सस्ते स्टील की डंपिंग के चलते लागत दबाव; 2जी स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के रद्द होने से संचार क्षेत्र में उथल-पुथल; और निर्माण क्षेत्र में आवश्यक सरकारी अनुमोदनों के मिलने, विशेषत: पर्यावरणीय क्लियरेंस में विलंब के कारण बदहाली।

इनके अलावा, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की ऋण माफ़ियों/अधिस्थगनों के आघात से राजकोष की हानि हुई तथा बैंकिंग क्षेत्र की सेहत व ऋण संस्कृति पर बुरा असर पड़ा। रोचक बात यह है कि भारतीय बैंक संघ का डेटा बताता है कि 2017 से जिन 10 राज्यों ने ऋण माफ़ी योजनाओं की घोषणा की, उनमें से केवल तीन ने वादे की मुताबिक लगभग पूरी प्रतिपूर्ति की है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि, राइट ऑफ़ राशियों की प्रतिपूर्ति बैंकों को हो और डिस्कॉम वाले भुगतान समय से किए जाएं ताकि आने वाले वर्षों में बैंकों की सेहत और उधार देने की उनकी क्षमता बेहतर हो।

कंपनी अभिशासन पर मौन

इसके बाद मैं, पीएसबी को पेश आ रही कुछ आंतरिक चुनौतियों पर आता हूँ और उनके अभिशासन को बड़ी आसानी से एक प्रमुख समस्या बताया जा सकता है। वास्तव में, कई समस्याएं, जिनका पीएसबी वर्तमान में सामना करते प्रतीत हो रहे हैं, जैसे बढ़े हुए एनपीए, पूँजी की कमी, धोखाधड़ी और अपर्याप्त जोख़िम प्रबंधन को ज्यादातर अंतर्निहित अभिशासन समस्या का नतीजा बताया जा सकता है। नियंत्रण, लेखा परीक्षा (ऑडिट), और कारोबार व जोखिम प्रबंधन की अलग रिपोर्टिंग की समुचित प्रणालियां स्थापित करके अनुपालन संस्कृति विकसित करने में कुछ पीएसबी में स्वतंत्र बोर्ड अपनी भूमिका में खरे नहीं पाए गए हैं जिसके कारण एनपीए का अंबार बढ़ा है। साथ ही, कारोबारी परिप्रेक्ष्य से, कुछ बैंकों के बोर्डों में, कौशल व सक्षमता के अभाव के कारण, जोखिम की पर्याप्त समझ नहीं रही है। यह तथ्य है कि पारदर्शिता व जवाबदेही पर केंद्रित सुदृढ़ कॉरपोरेट अभिशासन की धारा मजबूत बोर्ड से चलेगी जो अपने नेतृत्व से उदाहरण दे।

अब मैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों (पीवीबी) के अभिशासन मुद्दों पर भी आता हूँ जिनकी जड़ें कुछ और हैं। यहाँ मुद्दे मुख्यत: उनके प्रबंध तंत्र के प्रोत्साहन के ढाँचे, ऑडिट व अनुपालन की क्वालिटी और ऑडिट व जोखिम प्रबंध समितियों के कार्य से भी जुड़े हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल में निजी बैंकों में मुआवजे (कम्पेनशेसन) पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें न्यूनतम परिवर्तनशील वेतन घटक और दिए गए पैसे की वसूली व्यवस्थाएं आदि शामिल हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान

अभिशासन के अलावा, पीएसबी तथा समग्र तौर पर पूरी बैंकिंग व्यवस्था के सामने दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान प्रमुख चुनौतियों में से एक है। एक लंबे समय तक भारत के पास दिवालिया कानून नहीं था और इसलिए रिज़र्व बैंक विभिन्न पुनर्रचना ढाँचों को ले आया जिनमें दिवालिया कानून के

वांछनीय तत्वों को लेने का प्रयास किया गया। शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) का अधिनियमन इस मामले में बड़े बदलाव लाने वाला रहा है। इस अवधारणा के बावजूद, कि बहुत सी मुकदमेबाजियों से त्रस्त होने के कारण आईबीसी में निपटान में विलंब होता है, मुझे यह उम्मीद है कि ये सब एक नए कानून में शुरुआती दौर की समस्याए हैं। आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाहियों से गुजरने और परिसमापन (लिक्विडेशन) में समाप्त होने वाली अधिकांश कंपनियां पहले ही लंबे समय से दवाग्रस्त इकाइयां थीं जिनके मूल्य में काफ़ी ह्रास हो चुका था जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीएफआईआर) में लंबित थीं। आईबीसी का वास्तविक असर नए मामलों में देखा जाए जहाँ इस कानून से मुझे निपटारे का एक प्रभावी मार्ग मिलने की उम्मीद है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान का एक ढाँचा प्रस्तुत किया है जिसमें निपटान योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन की परिकल्पना है जिसके असफल होने पर अतिरिक्त प्रावधान के रूप में दंडात्मक कार्यवाहियां शुरू होंगी।

एक ओर वास्तविक/वस्तु क्षेत्र फर्मों के लिए जहाँ ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं, वहीं वित्तीय फ़र्मों के निपटान के मामले में हालात एकदम अलग हैं। इस मामले में, सरकार ने 15 नवंबर 2019 को आईबीसी के अंतर्गत वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के निपटान हेतु नियमों का एक ढाँचा जारी किया है। इन नियमों का प्रयोग क्षेत्र कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं तक सीमित रहेगा जिसे कि विनियामकों से परामर्श के बाद सरकार अलग से अधिसूचित करेगी।

पहचान, मरम्मत और निपटान की दिशा में हमारे दृढ़ प्रयासों से 7 वर्षों के बाद पहली बार मार्च 2019 में अनर्जक आस्तियों में कमी आई। नई गिरावटें कम हुईं और प्रणाली स्तरीय प्रावधान कवरेज अनुपात एक वर्ष पहले के 48.3 प्रतिशत से बढ़कर 60.5 प्रतिशत पर आ गया। बैंकिंग प्रणाली का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गया है जो बासल मानकों से काफ़ी अधिक है। इसमें हाल में सरकार द्वारा पीएसबी के 2.9 लाख करोड़ के पुनर्पूँजीकरण का लाभ मिला है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय

सरकार ने मजबूत व स्पर्धात्मक बैंक बनाने की दृष्टि से पीएसबी के समामेलन की घोषणा की ताकि वैश्विक उपस्थिति वाले सुदृढ़तर बैंक बनें। यह समेकन नरसिंहम समिति की प्रथम रिपोर्ट की संस्तुतियों की दिशा में उठाया गया कदम है, जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में कम किंतु सुदृढ़ बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया गया था। विचार यह था कि इन बैंकों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के लायक बनाया जाए। अच्छी तरह कार्यान्वित एक विलय से कार्यबल व पूँजी की उत्तम सहक्रिया घटित होती है, कार्यों को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय उन्नति होती है। इससे बैंकों के बीच सभी बोर्डों में सर्वोत्तम तौर-तरीकों का प्रसार भी हो सकता है। सिद्धांतत:, बड़े और चुस्त बैंक, बेहतर ब्रांडिंग के जरिये अपने आपको नई स्थिति में प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि यह जल्द जोड़ दूँ कि विलय इस प्रकार हो कि इस प्रक्रिया से इन बैंकों के सामान्य कार्यकलाप में कोई उथल-पुथल न हो।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनी क्षेत्र (एनबीएफसी सेक्टर)

यह भली भाँति मानी हुई बात है कि व्यापक प्रकार के ग्राहकों और विशिष्ट क्षेत्रों की वित्तीय जरूरत को पूरा करके भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एनबीएफसी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथा बैंकों के लिए पूरकता व स्पर्धा का कार्य करते हैं। एनबीएफसी क्षेत्र अधिकांशत: बाजार और बैंक उधारियों पर निर्भर है जिससे बैंकों व वित्तीय बाजारों के साथ अंतर्निभरता का एक जाल तैयार होता है। चूँकि आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) अब रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में आती हैं, हम वर्तमान विनियमों की एक समीक्षा कर रहे हैं और एनबीएफसी के लिए लागू विनियमों के साथ एचएफसी के इन विनियमों को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया में है।

इंफ्रास्ट्रकचर एंड लीज़िंग कंपनी (आईएलएफएस) संकट और तत्पश्चात कुछ कंपनियों द्वारा चूक के बाद आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं सामने आई हैं जिसके चलते एनबीएफसी

पर तरलता/चलनिधि (लिक्विडिटी) का दबाव बना है। इन चिंताओं के समाधान हेतु विभिन्न उपाय उठाने एवं एनबीएफसी की विनियामकीय व पर्यवेक्षीय संरचना को मजबूत करने और इस प्रकार इस क्षेत्र की स्थिरता व सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में रिज़र्व बैंक अग्रसक्रिय रहा है।

विनियमों के सुसंगतिकरण व मजबूत चलनिधि ढाँचे के जरिए उनको समुत्थानशील बनाने पर हमने काफ़ी बल दिया है। 4 नवंबर 2019 को रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के चलनिधि प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी में समुचित अभिशासन व जोखिम प्रबंधन ढाँचा सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है।

शहरी सहकारी बैंक

अब मैं सहकारी बैंकों की ओर मुड़ता हूँ। वे ऋण वितरण और लोगों तक अन्य वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। तथापि इनमें से कुछ संस्थानों का प्रदर्शन परिचालन व अभिशासन के मामलों से बाधित हुआ है। हाल में एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) में फ्रॉड का पता चलने से उनके अभिशासन, विवेक सम्मत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नियंत्रण व संतुलन की पर्याप्तता संबंधी मुद्दे सामने आए हैं।

इतिहास पर नजर डालें, तो शहरी सहकारी बैंकों को 1 मार्च 1966 से बैंकिंग रेग्यूलेशन (बीआर) ऐक्ट 1949 की परिधि में लाया गया। तथापि, बीआर ऐक्ट के कुछ प्रावधान उन पर लागू नहीं थे जिससे उन पर विनियमन व पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित रहा[1]। मोटे तौर पर कहा जाए, तो शहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं और प्रबंधन संबंधी कार्य संबंधित राज्य / केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रण का यह द्वैत रिज़र्व बैंक के विनियामकीय नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। राज्यों/ केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टैफ़कब) के गठन द्वारा रिज़र्व बैंक ने अतीत में दोहरे नियंत्रण के दुष्प्रभाव को कम करने के प्रयास किए हैं। तथापि, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। वर्तमान में रिज़र्व बैंक सरकार के साथ मिलकर सहकारी बैंकों को चलाने वाले ऐक्ट में संशोधन पर कार्य कर रहा है। यूसीबी के बेहतर विनियमन व पर्यवेक्षण के लिए हमने केंद्र सरकार को कई विधायी परिवर्तन सुझाए हैं। अपनी ओर से हम यूसीबी के विनियमन व पर्यवेक्षण की वर्तमान संरचना की समीक्षा कर रहे हैं और उभरती आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

आगे चलकर, यूसीबी को लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनैंस संस्थाओं (एमएफआई) जैसे खिलाड़ियों से अधिकाधिक प्रतोयोगिता का सामना करना पड़ सकता है। अत: आवश्यक है कि वे अच्छी तकनीक अपनाएं ताकि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ कम लागत पर वे बैंकिंग सेवाएं दे पाएं। आईटी का एक मजबूत आधार अपनाने में रिज़र्व बैंक अग्रसक्रिय होकर इन संस्थाओं की सहायता कर रहा है। ऐसी प्रत्याशा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तरीय छत्र संगठन (यूओ) सदस्य सहकारी बैंकों को चलनिधि व पूँजीगत सहायता देकर इस क्षेत्र की सुदृढ़ता व जीवंतता में योगदान देगा।

बैंकिंग के नए क्षितिज

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के रूप में बैंकिंग के नए मॉडलों ने भारत में बैंकिंग के क्षितिज को विस्तृत कर दिया है। 'अल्प नकद' समाज की दिशा में सरकार व रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों[2] के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के फलस्वरूप, डीजीपी की तुलना में डिजिटल भुगतानों[3] का अनुपात मार्च 2016 के अंत के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 के अंत में 8.6 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 4.6 से बढ़कर 17.6 हो गया। इसी प्रकार, फिनटेक उधार देने और पूँजी उगाहने के वैकल्पिक मॉडल दे रहा है। इस क्षेत्र में, क्राउड फंडिंग, समकक्षीय उधार (पीयर टू पीयर लेंडिंग), इनवॉयस फाइनैंसिंग (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस)) और

[1] सहकारी बैंक बीआर ऐक्ट, 1949, कुछ संशोधनों सहित, की धारा 56, के अंतर्गत विनियमित हैं। चूँकि सहकारी बैंक ऐक्ट के कुछ प्रावधानों से मुक्त हैं, यूसीबी पर रिज़र्व बैंक का विनियामक प्राधिकार सीमित है।

[2] जैसे तत्काल (इमीडियेट) भुगतान (पेमेंट्स) सेवा (सर्विस) (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), आधार-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस), भारत क्यूआर कोड और मोबाइल वैलेट्स।

[3] डिजिटल भुगतानों में आरटीजीएस (ग्राहक लेन-देन और अंतर-बैंक लेन-देन),खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और कार्ड भुगतान (प्वाइंट ऑफ सेल (पॉस) टर्मिनलों पर पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन-देनी-पेड पेमेंट इन्सट्रूमेंट्स के माध्यम से किए गए भुगतान)।

डिजीटल लैंडिंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इन्होंने लागत घटाकर, उत्पादों व सेवाओं के छोटे पैकेट बनाकर मध्यस्थता की सक्षमता को बढ़ाने और वृहत्तर जन समुदाय के लिए वित्तीय सेवाओं को विस्तार देने में सहायता की है।

अधिक हाल की बात करें, तो वित्तीय सेवाओं के नवोन्मेष में कृत्रिम बौद्धिकता (एएल), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा केंद्रीय बनते जा रहे हैं। इन तकनीकों से भारी मात्रा में संरचनाबद्ध व संरचनाविहीन डेटा का विश्लेषण संभव हो पाया है। विनियमों के अनुपालन को लेकर प्रत्याशा के बढ़ते स्तर तथा डेटा व रिपोर्टिंग पर अधिक फोकस से रेगटेक व सुपटेक चर्चा में आ गए हैं। इनका प्रयोग जोख़िम प्रबंधन, विनियामक रिपोर्टिंग, आँकड़ा प्रबंधन, अनुपालन, ई-केवाईसी / एंटी-मनी लॉन्डरिंग (एएमएल)/आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी), और धोखाधड़ी के रोकथाम (फ्रॉड प्रिवेंशन) के क्षेत्रों में हो रहा है।

इन घटनाक्रमों के कारण, पारंपरिक बैंकिंग का स्थान अब अगली पीढ़ी की बैंकिंग ले रही है जिसका फोकस डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण है। ईंट पत्थर वाली शाखाओं की आवश्यकता की सतत समीक्षा हो रही है क्योंकि डिजीटलीकरण से बैंकिंग लोगों की ऊँगलियों पर आ गई है जिससे भौतिक रूप से बैंक शाखा में जाने की जरूरत ख़त्म हो रही है। भुगतान जैसे बैंकों के पारंपरिक गढ़ में तकनीक के महारथियों के तेजी से आगे बढ़ने के कारण तकनीकी नवोन्मेष से वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में हुए परिवर्तन से किसी बैंक व टेक्नॉलॉजी कंपनी के बीच की विभाजक रेखा धुँधली हो सकती है। इससे विनियामकों को इस बात को आजमाने का एक अवसर मिलेगा कि नवोन्मेष के प्रोत्साहन और समान पर्यवेक्षी व विनियामक ढाँचा लागू करने के बीच नाजुक संतुलन कैसे कायम किया जाए।

समापन टिप्पणी

मैं यह कहकर समापन करना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है। अरक्षित देयताओं को समाज से उगाहने तथा विभिन्न अवसरों व उद्यमों में इसके विनियोजन द्वारा आय उत्पन्न करने के विशेषाधिकार के लिए इस विनियोजन के जोख़िम का समझदारी से आकलन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में, आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के विकास में योगदान की जब बात हो तो इसमें बैंकों की जिम्मेदारी तो बनती है।

आगे, आरबीआई में हम बैंकों में अभिशासन, जोख़िम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा व अनुपालन कार्यों पर अधिक गहनता से ध्यान दे रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर निगरानी को मजबूत करने के लिए हमने 1 नवंबर 2019 से एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और एक एकीकृत विनियमन विभाग बनाया है। चूँकि ये इकाइयां परस्पर व्याप्ति वाले कार्यक्षेत्रों के साथ अधिकाधिक एकीकृत परिवेश में कार्य करेंगी, इससे पर्यवेक्षण व विनियमन अधिक प्रभावी होगा। हमारा प्रयास है कि पर्यवेक्षकों का ज्ञान व कौशल लगातार अद्यतन होता रहे। हम इस मामले में एक बहुमुखी तरीका अपना रहे हैं। हम विनियामक व पर्यवेक्षी स्टाफ के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने व सुदृढ़ करने के लिए एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाने की प्रक्रिया में हैं इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक शोध व विश्लेषण स्कंध बनाया जा रहा है जो विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों के पूरक व सहायक का कार्य करेगा। जैसा कि पहले बताया गया है, विनियमन व पर्यवेक्षण को अधिक कारगर बनाने में तकनीक की अहम भूमिका लगातार बनी रहेगी।

दीर्घकाल से बने हुए विनियामक व पर्यवेक्षी ढाँचे के कुछ मुद्दों के व्यवस्थित व समयबद्ध ढंग से हल पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि एक अधिक कुशल व सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली बनाई जा सके।

आशा करता हूँ कि अपने वक्तव्य में मैंने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, उनमें से कुछ पर आने वाले सत्रों में सम्मेलन के सहभागी विस्तार से चिंतन करेंगे। मैं सम्मेलन की भरपूर सफलता की कामना करता हूँ।